BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH AT BHOPAL

O.A.No.221/2024(CZ)

IN MATTER OF:

KAMLESH ROJ ……..…APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. ………..RESPONDENTS

INDEX TO DOCUMENTS

S.NO.	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE NO.
1	Reply to O.A. 221/2024		2-6
2	Affidavit in support		7
3	Copy of GT Sheet	R/1	8
4	Copies of Notices	R/2	9-26
5	Copies of FIRs	R/3	27-31
6	Copy of the Photographs showing water flow and dam conditions	R/4	32-37
7	Affidavit of Service		38-39

PLACE: JABALPUR
DATE: 16.01.2025

SHOEB HASAN KHAN
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 4
Ph. No : (+91)-8989499211
Email:- shoebkh@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH AT BHOPAL

O.A.No.221/2024(CZ)

IN MATTER OF:

KAMLESH ROJ **……..…**APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. **………..**RESPONDENTS

REPLY ON BHELF OF RESPONDENT NO.4

PARAWISE REPLY

MOST RESPECTFULLY SHOWETH :

1. That contents of para 1 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that the Chhaparwara Dam project was constructed in the year 1894 with the primary objective of providing irrigation to its command area, spanning 11,741 hectares. The main inflow into the Chhaparwara Dam is sourced from the Masi River through the Itakhoi Feeder, Kalakh Feeder, and local streams. The dam has a length of approximate 4,260 meters, while the total length of its four canals is approximate 96.18 kilometers. Additionally, the dam's total catchment area covers 824 square kilometers.
2. That contents of para 2 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that the Chhaparwara Dam originates from the Masi River via the Itakhoi Feeder and from the Kalakh Feeder, which offtakes from the Kalakh Canal near Village Mokhampura, Tehsil Mozmabad. Additionally, water flows

into the Chhaparwara Dam from its free catchment area through local streams. A GT sheet is attached herewith as **ANNEXURE R/1.**

3. That contents of para 3 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that the Kalakh Feeder of the Chhaparwara Dam, with a length of approximate 21 kilometers, offtakes from Outlet No. 12 of the Kalakh Canal of the Kalakh Dam, through which water is conveyed to the Chhaparwara Dam. The identification, demarcation, and removal of encroachments or obstructions are regularly undertaken by the department, as evidenced by the attached copies of notices and FIRs filed against encroachers. Copies of the notices and FIRs are marked as **ANNEXURE R/2 and ANNEXURE R/3** respectively.

4. That contents of para 4 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that an anicut is located on the Masi River in Itakhoi Village, serving as a pick-up weir for the Itakhoi Feeder, which originates near the anicut. While no gates are installed on the anicut itself, eight gates are provided at the head of the Itakhoi Feeder to regulate the flow of water from the river towards the dam. These gates are operated as required to manage the water flow into the dam via the Itakhoi Feeder. Water is diverted freely towards the dam, and during the monsoon season of 2024, the Chhaparwara Dam was filled to its maximum capacity of 35 MCM. The Itakhoi Feeder consistently transports water from the Masi River to the dam. Copy of the photographs showing water flow and dam conditions have been attached herewith and are marked as **ANNEXURE R/4**. There are no encroachments on the Itakhoi Feeder, and as a result, the Chhaparwara Dam overflowed in September 2024.

5. That contents of para 5 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that the mentioned Ganga Sagar Talab does not fall under the jurisdiction of the Water Resources Department. The talab is located on a local stream/nalla.

6. That contents of para 6 of the original application are not related to the answering respondent.

7. That contents of para 7 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that during the crop season, local cultivators often use tarbandi or bushes (temporary obstructions) around their private land to protect their crops. In doing so, they may occasionally encroach upon the feeder's service bank or non-service bank. Such encroachments or obstructions are routinely identified, notified, and removed. At present, there are no obstructions in the flow area of the feeder.

8. That contents of para 8 and 9 of the original application are partially admitted. It is submitted that the Kalakh Feeder in Revenue Village Sawarda flows through Khasra Nos. 4236/3843, 3837/3635, 3635, 3634, 4303/3633, 4304/3633, 3836/3632, 3630, and 4238/4231, which are registered as private khatedari lands. The private landowners have damaged the feeder, leveled the flow area, and completely obstructed the flow of the Kalakh Feeder at this location. Consequently, an FIR was filed for the damage caused to government property (annexed as ANNEXURE R/3). Additionally, a formal request has been made to the Revenue Department (SDM Mozmabad, District Dudu) to officially transfer this land to the Water Resources Department.

9. That contents of para 10 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that no NOC has been

issued by the Water Resources Department to Respondents No. 8 and 9 for establishing a factory on the mentioned land.

10. That contents of para 11 of the original application are not related to the answering respondent.

11. That contents of para 12 of the original application are not related to the answering respondent.

12. That contents of para 13 of the original application are admitted to the extent that ponds/talabs utilize water from the Kalakh Feeder, are acknowledged. However, it is clarified that these local ponds/talabs do not fall under the jurisdiction of the Water Resources Department.

13. That contents of para 14 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that command area of the Chhaparwara Dam is 11,741 hectares, and the storage capacity of the dam is 35 million cubic meters. Water is supplied to the command area based on the availability of water collected during the rainy season.

14. That contents of para 15 of the original application are denied and not admitted in the manner stated. It is submitted that the Chhaparwara Dam is designed solely for irrigation purposes. The water collected during the rainy season is stored in the dam and distributed within the command area based on decisions made by the Water Distribution Committee. This committee is chaired by the District Collector and includes participation from cultivators representing all areas within the dam's command area.

15. That contents of para 16 of the original application are admitted.

16. That contents of para 17 of the original application are admitted.

17. That contents of para 18 of the original application are not related to the answering respondent.

18. That contents of para 19 of the original application are not related to the answering respondent.

19. That, all adverse contentions raised by the applicant in the present original application, which are not adverted to by the answering respondents in the instant reply are hereby specifically and categorically denied.

20. Affidavit in support of the reply is attached.

PRAYER

In light of the above facts and submissions, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly take this reply on record and pass any orders or directions deemed appropriate in the interest of justice.

PLACE: JABALPUR
DATE: 16.01.2025

SHOEB HASAN KHAN
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 4
Ph. No : (+91)-8989499211
Email:- shoebkh@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

O.A. No.221/2024(CZ)

KAMLESH ROJ **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN& ORS. **RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I Dinesh Kumar Agrawal S/o Sh. Omprakash Agrawal Occu: Supertending Engineer, R/o Jaipur, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:-

1. That I am well acquainted with the facts of the present case and the reply has been drafted by counsel for answering respondent on my instructions and contents thereof, have also been explained to me.

i. 2. That I have read and understood the same and the reply to the application is true further nothing has been concealed by the Respondent.

i. 3. That affidavit is executed in support of this reply to Original Application.

DEPONENT

VERIFICATION

I Dinesh Kumar Agrawal the above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid affidavit from paragraph 1 to 3 are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Verified on this 18 day of Dec 2024.

DEPONENT

NOTARY VINOD SHARMA Notary & Advocate JAIPUR (Raj.) Reg. No. 1245 GOVT. OF RAJASTHAN

ATTESTED
VINOD SHARMA
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 1245
JAIPUR CITY (RAJ.) INDIA
20 DEC 2024

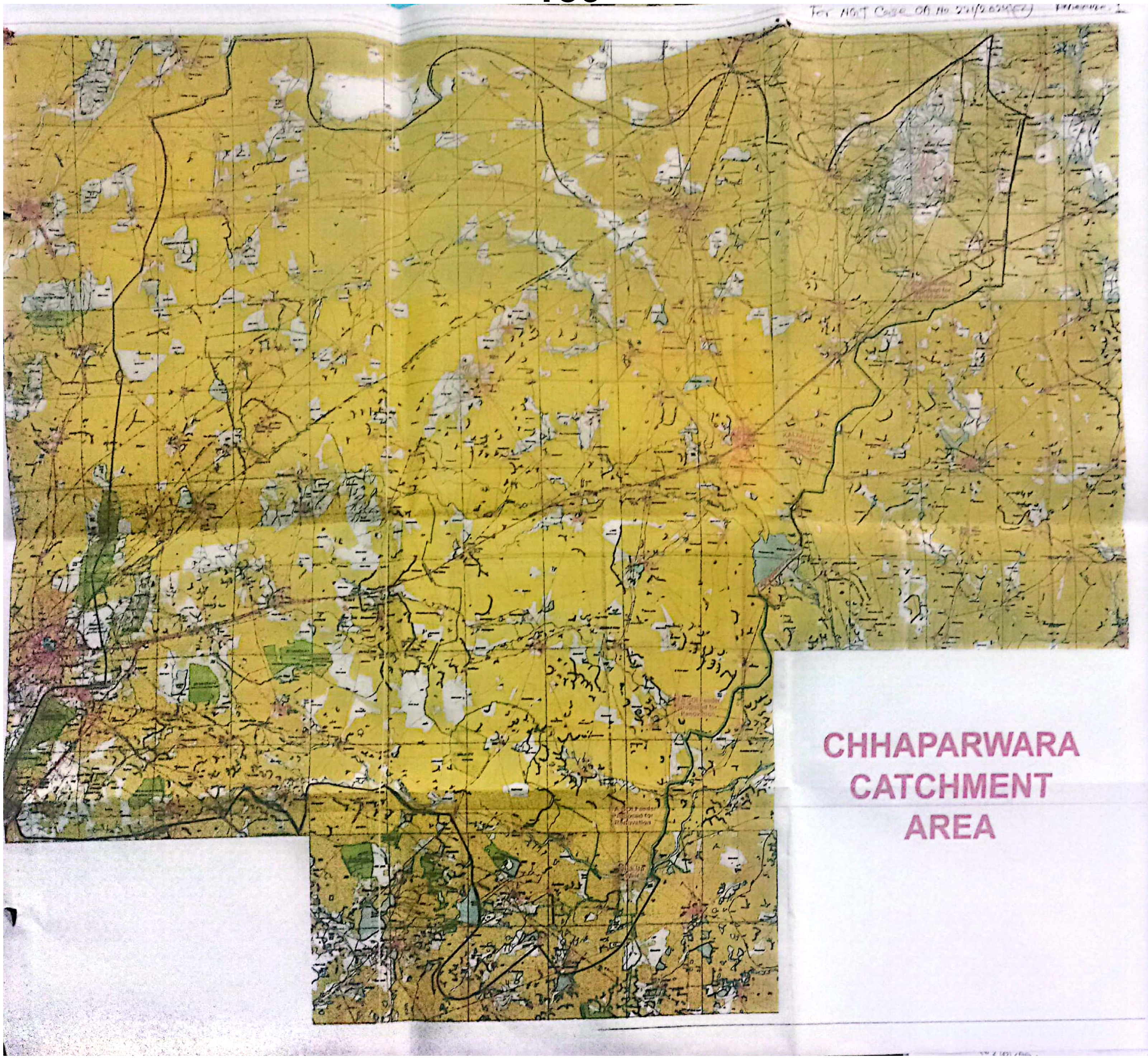
CHHAPARWARA
CATCHMENT
AREA

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

SE CHHAPARWADA-26

दिनांक 12/09/2022

श्री..... रामू जी गुर्जर

ग्राम गुड्डा

विषय ..... पासरव .... बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ...गुड्डा............. ग्राम पंचायत ....खुडियाला... तहसील .... मौजमाबाद में ....नहर फीडर.... नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ....कालख फीडर........ नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि ...7... दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला सें अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
आर.पी.ओ. ...-586

नि. रामू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
क्रमांक SP- CHHAPARWARA 25

दिनांक 12/09/2022

श्री रूप जी गुर्जर, रतन जी गुर्जर, लालू जी गुर्जर
ग्राम गुड्डा।

विषय:- कालख बांध की विभागीय ~~नहर~~ फीडर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लैख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड्डा ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

नि. [signature]

[signature]
सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
सी.आई.ओ. कोड - 586

...लय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू
दिनांकः 12/09/2022

SP CHHAPARWARA-27

श्री भैरूनार्ड

ग्राम खुड़ियाला

विषयः– कालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम खुड़ियाला ग्राम पंचायत खुड़ियाला तहसील ...... मौजाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला सें अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
डी.डी.ओ. कोड - 586

नि.

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांकः 90.46 17/10/2022 दिनाकः ....

श्री ....हेमराज S/o लाधू जी प्रजापत........

..................सांवरदा..................

विषयः– ....कालख फीडर........ बांध की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लैख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ....सांवरदा........ ग्राम पंचायत ....सांवरदा........ तहसील :........ मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तारबन्दी / समतल~~ पक्की दीवार बना कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ....कालख फीडर........ नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला सें अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू

प्राप्त किया

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांकः 9प.46/17/10/2022 दिनांकः ....

श्री गोपीचंद जी, केदार राम जी, प्रेम जी, ~~मंगल जी~~ ~~साहू~~
निवासी सावरदा

विषयः- कालख फीडर ~~बांध~~ की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम सावरदा ग्राम पंचायत सावरदा तहसील : [illegible] में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~नालबन्दी~~/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

प्राप्त किया
[signature]

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
डी.डी.ओ. कोड 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

दिनांकः ....

क्रमांकः उप. 43/17/10/2022

श्री बजरंग जी सकराम जी S/o रामलाल जी प्रजापत

निवासी सावरदा

विषयः– सांभर फीडर ~~बांध~~ की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लैख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम सावरदा ग्राम पंचायत सावरदा तहसील .... मौजमाबाद में सांभर फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तारबन्दी~~/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही सांभर फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

प्राप्त किया स.रा.म.

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
पी.डी.ओ. कोड 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक 9P.47
17/10/2022

दिनांक: ....

श्री ......केदार शर्मा......

......[illegible]......

विषयः– ....[illegible]....फीडर.... ~~बंध~~ की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ....[illegible].... ग्राम पंचायत ....[illegible].... तहसील ....[illegible].... में ....[illegible] फीडर.... नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तारबन्दी~~/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ....[illegible] फीडर.... नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

प्रति प्राप्त
महेन्द्र शर्मा
17/10/22

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
डी.डी.ओ. कोड 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक : 90 / 45   दिनांक: ....

श्री मोहन, रामजीलाल, मदन जी S/o रामचन्द्र जी प्रजापत
निवासी- सांवरदा

विषय:- छापरवाड़ा फीडर बांध-की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम सांवरदा ग्राम पंचायत सांवरदा तहसील : मौजमाबाद में छापरवाड़ा फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तारबन्दी~~/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही छापरवाड़ा फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अत: इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

नन्दलाल

सहायक अभियन्ता
जल स[illegible]ाधन उपखण्ड दूदू
डी.डी.ओ. कोड - 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक 80.44/17/10/2022 दिनांक: ....

श्री ...गानाराम, रोडूराम, छोटू, बोदु पु० रघुनाथ जी ...सावरदा... प्रजापत

विषयः- ...कालरख फीडर... बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ...सावरदा... ग्राम पंचायत ...सावरदा... तहसील ...मौजमाबाद... में ...कालरख फीडर... नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से ~~तारबन्दी~~/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ...कालरख फीडर... नहर पर अतिक्रमण करने से वहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

प्राप्त किया
रोडूराम

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
[illegible] 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक: 51-06 दिनांक 17/1/2022

श्री रामरतन पुत्र नन्दा पुत्र गुर्जर

ग्राम - गुड़हा

विषय:- फालख फीडर फालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड़हा ग्राम पंचायत खुड़ियाला तहसील :— मौजमाबाद में फालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटड़ा) को अवैध तरीके से तारबन्दी / समतल कर आपने उक्त नहरी / सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि / क्षति / अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक आपराधिक कृत्य है।

साथ ही फालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशों की स्पष्ट तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153 / 2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध / नहर / नदी / नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
डी डी ओ कोड - 556

धनराज

श्री लालू बुकन S/o नन्दा बुकन गुर्जर
ग्राम -गुड्डा

विषय:- कालख फीडर, कालखबांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड्डा ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील :मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही [illegible]

[illegible] कार्यवाह [illegible] जिसकी समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।

[signature]
सहायक अभियन्ता
[illegible]

श्रीराम

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड [illegible]

क्रमांक : [illegible]   दिनांक: [illegible]

श्री ...[illegible] S/o [illegible]...

......ग्राम - [illegible]...............

विषय:- कालसर फीडर, [illegible] नहर की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ...[illegible]............ ग्राम पंचायत ...[illegible]... तहसील :...... [illegible]..... में ...कालसर फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटड़ा) को अवैध तरीके से सारवन्ती/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरुद्ध कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ...कालसर फीडर... नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लंघन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि ...[illegible]... दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

[illegible]

[illegible]
सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड [illegible]
डी.डी.ओ. कोड - [illegible]

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक : SP-04 दिनाकं: [illegible]/2022

श्री रूपा जी बुकन S/O नन्दा बुकन गुर्जर

ग्राम – गुडडा

विषयः– कालख फीडर, कालखबांध की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडडा ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

Ramu

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांकः SP-03 दिनांकः 7/10/2022

श्री रामस्वरूप S/o रामरतन गुर्जर
ग्राम - गुडा

विषयः- कालख फीडर, कालख बांध की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुडा ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील : मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से वहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / वहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक : SP-2 दिनांक: 17/10/2022

श्री फालू बागरिया S/o झूता बागरिया

ग्राम गुड्डा

विषय:- कालख फीडर, कालख बांध की विभागीय नहर से अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड्डा ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील :मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिक्रमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
डी.डी.ओ. कोड - 586

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक : SI-01 दिनांक: 17/9/2022

श्री धासी बागरिया S/O भूता बागरिया

ग्राम -गुड्डा

विषय:- कालख फीडर, कालख बांध की विभागीय नहर से अतिकमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम गुड्डा ग्राम पंचायत खुड़ियाला तहसील मौजमाबाद में कालख फीडर नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है. नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही कालख फीडर नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के भीतर वांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटावकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू

क्रमांक : SI-CHHAPARWARA 25 दिनांक: 07/09/2022

श्री ......हीराराम जी , सखाराम जी गुर्जर

......खुडियाला..........

विषयः– ......कालख ...... बांध की विभागीय नहर फीडर से अतिकमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नहर के निरिक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम ......खुडियाला...... ग्राम पंचायत ......खुडियाला...... तहसील ...... मौजमाबाद...... में ......कालख फीडर...... नहर पर आप द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है नहर के Service road (पटडा) को अवैध तरीके से तारबन्दी/ समतल कर आपने उक्त नहरी/सरकारी भूमी को अवैध तरीके से अपने खेत में मिला लिया है जो कि राजकीय सम्पति को हानि/क्षति/अतिकमण के नियम विरूद्व कार्य किया है जो कि एक अपराधिक कृत्य है।

साथ ही ......कालख फीडर...... नहर पर अतिक्रमण करने से बहाव क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज. के निर्णय में दिए गए निर्देशो की साफ तौर पर अवहेलना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/2000 में दिए गए निर्देशो की भी उल्लघंन है।

अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि ...7... दिवस के भीतर बांध/नहर/नदी/नाला से अतिक्रमण / बहाव क्षेत्र से अवरोध हटाकर आप द्वारा पहुंचायी क्षति को दुरस्त कर अविलम्ब सूचित करे। अन्यथा आपके विरूध राजस्थान ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

नि.

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड - दूदू (जयपुर)

क्रमांक :- SD. Silc-01.

दिनांक :- 16/07/2023

श्री हेमराम कुम्हार

पुत्र श्री भवानीराम कुम्हार

ग्राम- सावरदा तह. मौजमाबाद

विषय :- सिंचाई विभाग की कालख फीडर (नहर) पर अतिक्रमण हटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय कनिष्ठ अभियंता अनुभाग दूदू द्वारा की गई रिपोर्ट के दौरान पाया गया कि ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद के कालख नहर (फीडर) जिसका ख.न. 36/3 उस पर आप द्वारा पक्का निर्माण किया जा रहा है। जिसका सीमाज्ञान 19/05/2023 को पटवारी सावरदा, तहसील मौजमाबाद की उपस्थिति में किया गया जिसके अन्तर्गत आप द्वारा नहर के पटडे पर अतिक्रमण किया पाया गया। जिससे नहर का बहाव क्षेत्र अवरुद्ध हो गया जो कि अब्दुल रहमान बनाम राज्य के निर्णय मे दिये गये निर्देशों की साफ तौर पर अवहेलना है इसमे अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1150/2000 मे दिये गये निर्देशो का भी उल्लंघन है। इस बाबत् आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है।

अतः पुनः आपको अंतिम नोटिस प्रेषित किया जाता है कि तुरंत से नहर के पटडे से अतिक्रमण हटाकर विभाग को सूचित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

Received
17/7/2023

17/07/23

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड - दूदू

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Year(वर्ष): 2021

1. District (जिला): जयपुर ग्रामीण
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0084

P.S.(थाना): दूदू
Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 17/02/2021 18:50 बजे

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	379
2	भा द सं 1860	427
3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3. (a)Occurrence of offence (अपराध की
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन
   Date From(दिनांक से): 13/02/2021
   Date To(दिनांक तक): 14/02/2021
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 00:00 बजे
   Time To (समय तक): 00:00 बजे
   (b)Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):Date(दिनांक): 17/02/2021
   Time (समय): 18:50 बजे
   (c)General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 034
   Time (समय): 17/02/2021 18:50:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा), 10 किमी
   Beat No(बीट सं.)
   (b Address(पता):SANWRDA MODE
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)
   Name of P.S(थाना का नाम):
   District(State)(जिला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a)Name(नाम):ANIL KUMAR
   (b)Father's Name (पिता का नाम): RANJEET SINGH
   (c)Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष)1989
   (d) Nationality (राष्ट्रीयता)भारत
   (e)UID No (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g)Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (h)Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HALL AEN WRD DUDU, दूदू, जयपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

2	स्थायी पता	ATHWAS, फतेहपुर शहर, सीकर, राजस्थान, भारत

(i) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):91-9910960128

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No.	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)): सेवा में थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना दूदू विषय:- ऐतिहासिक छापरवाडा कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड दूदू क्रमांक 107-109 दिनांक 15/2/2021 थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना दूदू विषय:- ऐतिहासिक छापरवाडा बंधा कि मुख्य आवक नहर (कालख फिडर)को सम्पूर्ण रूप से नष्ट (कच्चे , पक्के निर्माण एवं पाल) कर राज्य सरकार को हानि पहुचाने एवं राज सम्पति कि चोरी करने तथा आसपास क्षेत्र के निवासी लोगो का जीवन खतरे में डालनेवाले अतिक्रमियो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत। महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम सावरदा के खसरा नम्बर 3843/3638 से होकर ऐतिहासिक छापरवाडा बांध की मुख्य आवक नहर गुजरती है (एन एच 8 के पास) जो कि ऐतिहासिक कालख बांध एवं छापरवाडा बांध को जोडती है। साथ हि इस नहर में कालख बांध से छोडा जाने वाला पानी एवं उपरी हिस्से के समस्त गांव का बरसाती पानी छापरवाडा बांध में आता है जिसमे लगभग 4 तहसीलो के 52 गांवो के किसानो को सिचाई के लिए पानी दिया जाता है उक्त दोनो बांधो एवं इनकी समस्त नहरो का निर्माण राजकोष से रियासत काल में किया गया था । उपरोकत वर्णित खसरे में दिनांक 13.02.2021 एवं 14.02.2021 कि रात्री को छापरवाडा बंधा कि मुख्य अवाक नहर (कालख फिडर) को सम्पूर्ण रूप से (कच्चे , पक्के एवं नहर कि पाल) जे सी बी द्वारा नष्ट कर मिटटी एवं पिचिंग स्टोनो कि चोरी कर राज्य सरकार को भारी धनहानी पहुचाई है जिसकी पुर्टि सम्भव सही है उपरोकत वर्णित खसरे से गुजर रही छापरवाडा बांध कि मुख्य आवक नहर को वर्णित खसरे में नहर की पाल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है नहर कि पाल जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित है कि मिटटी चोरी कर काश्तकार ने अपने खेत में बिछा कर नहर कि बहाव क्षेत्र को समतल कर नष्ट कर दिया गया है नहर कि पाल पर बने हुये पक्के निर्माण को तोडकर पिचिंग के पत्थरो कि भी चोरी कर राज सम्पति को हानी पहुचाई है उक्त वर्णित भूमि तथा इसके आसपास के मौके पर नहर को पूर्ण रूप से नष्ट करने के कारण नहर में आने वाला वर्षा जल का बहाव नष्ट हो गया है जिससे कालख फिडर के द्वारा छापरवाडा बांध में आने वाले पानी कि आवक खत्म हो जायेगी । इसका सीधा प्रभाव मौजमाबाद फागी दूदू मालपुरा तहसीलो को 52 गांवो कि लगभग 12 हजार हैक्टयर कि सिचित भूमि के काश्तकारो पर पडेगा। बांध में पानी की आवक कम होने से उक्त वर्णित सिंचित क्षेत्र के काश्तकारो को सिंचाई हेतू मिलने वाले पानी कि मात्रा में भारी नुकसान होगा। इससे छापरवाडा बांध को बनाने का उद्देश्य हि समाप्त होता है । (2) यह भी उल्लेख है कि नहर को नष्ट करने से उक्त नहर के द्वारा बांध में आने वाला पानी का बहाव मार्ग परिवर्तित होकर आसपास के गांवों में नया बहाव मार्ग बनेगा । जिससे भारी जन हानि होगी साथ हि आसपास के अन्य काश्तकारो कि जमीनो में कटाव लगना निश्चित है अतः आप से अनुरोध है कि राज्य सरकार को भारी धनहानी एवं राजकिय सम्पति तथा आसपास के निवासीयो का जीवन खतरे में डालने के साथ हि कमांड क्षेत्र के काश्तकारो को भारी नुकसान पहुचाने वाले अतिक्रमियो के विरुद्ध राजकिय सम्पति को नुकसान पहुचाने , राजकिय सम्पती कि चोरी करने तथा आसपास के गांवो को जनहानी पहुचाने कि कुचेष्ठा रखने वाले , सिंचित क्षेत्र के काश्तकारो को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुचाने वालो के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज कर अविलम्ब कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करावें। जिससे राजकिय सम्पति का पुनर्वास के साथ आमजन एवं सिंचित क्षेत्र के काश्तकारो के अधिकार सुरक्षित किये जा सके । एसडी सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड दूदू क्रमांक 107-109 दिनांक 15/2/2021 प्रतिलिपी निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है 1. श्रीमान अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर 2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दूदू 3. श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड दूदू ——— कार्यवाही पुलिस——प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री अनिल कुमार S/O श्री रणजीत सिंह जाति जाट उम्र 32 साल R/O हटवास थाना फतेहपुर जिला सीकर हाल सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग उपखण्ड दूदू जिला जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश कि जिसकी नकल CCTNS कम्प्यूटर मे अक्षर बः अक्षर की गई मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 3 PDPP ACT व 379,427 भादस का बनु मे आना पाया जाने पर अभियोग धारा उपरोक्त मे पंजीबद्ध कर तफतीश श्री राजेन्द्र प्रसाद सउनि. के जिम्मे की जाती है । प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारी कर एक प्रति मुस्तगीस को निःशुल्क दी जावेगी । अभियोग संख्या CCTNS से प्राप्त होने पर पृथक से अंकित किये जावेंगे । नोट CCTNS से प्राप्त होने पर अभियोग संख्या अंकित किये जायेंगे ।

13.Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है ।):

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2 Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम)Rajendra Prasad Rank (पद): सहायक उप - निरीक्षक
No(सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3 Refused investigation due to(जांच के लिए):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

or (के कारण इंकार किया था)

District(जिला):

(4 Transferred to P.S.(थाना):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14.Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Name(नाम):Jogendra Rathore
Rank (पद):I (Inspector)
No(सं.):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) - (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (सफ़ेद दाग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, दूदू (जि.दूदू)

दिनांक–18.07.2024

क्रमांक–233

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मौजमाबाद।

विषय– राजस्व ग्राम सावरदा में छापरवाडा बांध की आवक कालख फीडर के खसरों को सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि छापरवाडा बांध की आवक नहर कालख फीडर जो कि ग्राम अनन्तपुरा में कालख बांध की कालख नहर के आउटलेट नम्बर 12 से निकलती है। कालख फीडर छापरवाडा बांध में पानी की आवक का मुख्य स्त्रोत है। उक्त कालख फीडर राजस्व ग्राम सावरदा मे रियासतकाल से ही वर्तमान खसरा नम्बर 4236/3843, 3837/3635, 3635, 3634, 4303/3633, 4304/3633, 3836/3632, 3630, 4238/4231 से गुजरती रही है जो कि GT Sheet में प्रदर्शित हो रही है तथा खसरा नम्बर 4236/3843 में राजकीय कोष से नहर पर किया गया पक्का कार्य (ओवरफ्लो स्ट्रक्चर) आज भी मौजुद है (फोटो संलग्न) है लेकिन संभवतः त्रुटिवश उपरोक्त खसरे राजस्व रिकॉर्ड में विभाग के नाम दर्ज नही होकर निजी खातेदारों के नाम से दर्ज हो गये है इस कारण निजी खातेदारों द्वारा राजस्व ग्राम सावरदा में उपरोक्त खसरों में कालख फीडर को पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिससे कि ग्राम अनन्तपुरा से ग्राम सावरदा तक का पानी कालख फीडर में नही आकर राजस्व ग्राम चांदरगूल की तरफ व्यर्थ बह जाता है जिससे कि अतिवृष्टि के समय राजस्व ग्राम चांदरगूल में बाढ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है राजस्व ग्राम सावरदा में निजी खसरों के खातेदारों द्वारा GT Sheet मे प्रदर्शित नहर को नही मानकर राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देकर रियासतकाल से चली आ रही कालख फीडर को समतल कर दिया गया है। चूंकि छापरवाडा बांध PKC-ERCP परियोजना में भी सम्मिलित है, जो कि कालख फीडर के जरिये कालख बांध से जोडा जाना प्रस्तावित है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहर के खसरों के कुछ हिस्से दूदू से जयपुर जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग NH–8 के बायीं तरफ स्थित है जिनका लेवल नहर के वर्तमान फ्लो एरिया (राष्ट्रीय राजमार्ग NH–8 के दायी तरफ) से ऊंचाई पर होने के कारण नहर को नहर के नाम खसरों से निकालना सम्भव नही हो पा रहा है। अतः राजस्व ग्राम सावरदा में कालख फीडर को GT Sheet के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरों 4236/3843, 3837/3635, 3635, 3634, 4303/3633, 4304/3633, 3836/3632, 3630, 4238/4231 से निर्मित किया जाना होगा (चूंकि नहर रियासतकाल से ही उपरोक्त वर्णित खसरों से गुजर रही है) लेकिन निजी खातेदारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अतः उपरोक्त खसरो को सिंचाई विभाग के नाम नाम दर्ज कराने का श्रम करावें।

संलग्न–

1. GT Sheet ।
2. निजी खसरो की सूची जिनसे कालख फीडर निकलती है।
3. नहर में पक्के निर्माण की फोटोग्राफ।

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू
दिनांक:18.07.2024

क्रमांक: 234–35

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव अति. जिला. मजिस्ट्रेट, दूदू।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, जयपुर।

सहायक अभियंता
जल संसाधन उपखण्ड दूदू

Received

25/7/24

ANNEXURE R/4

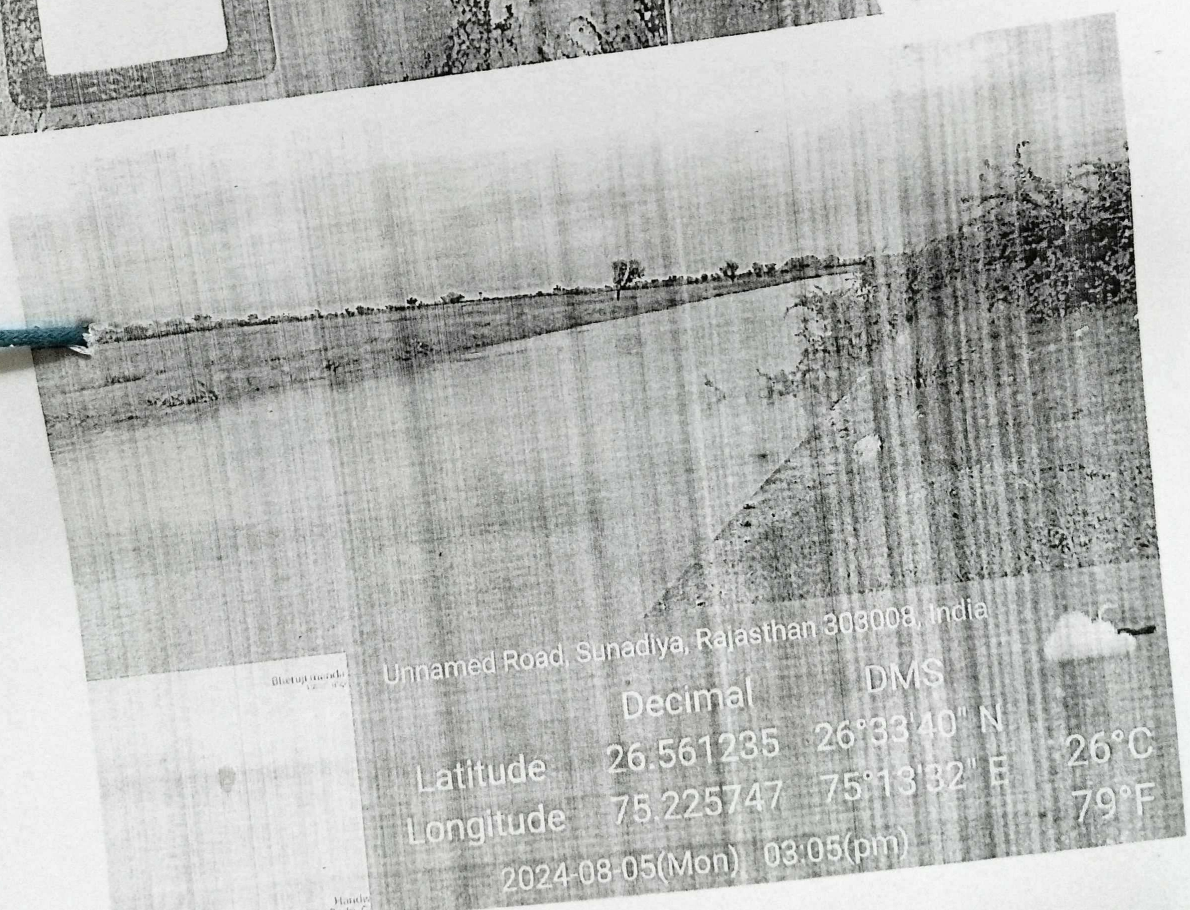

प्रस्तुत करेगा।

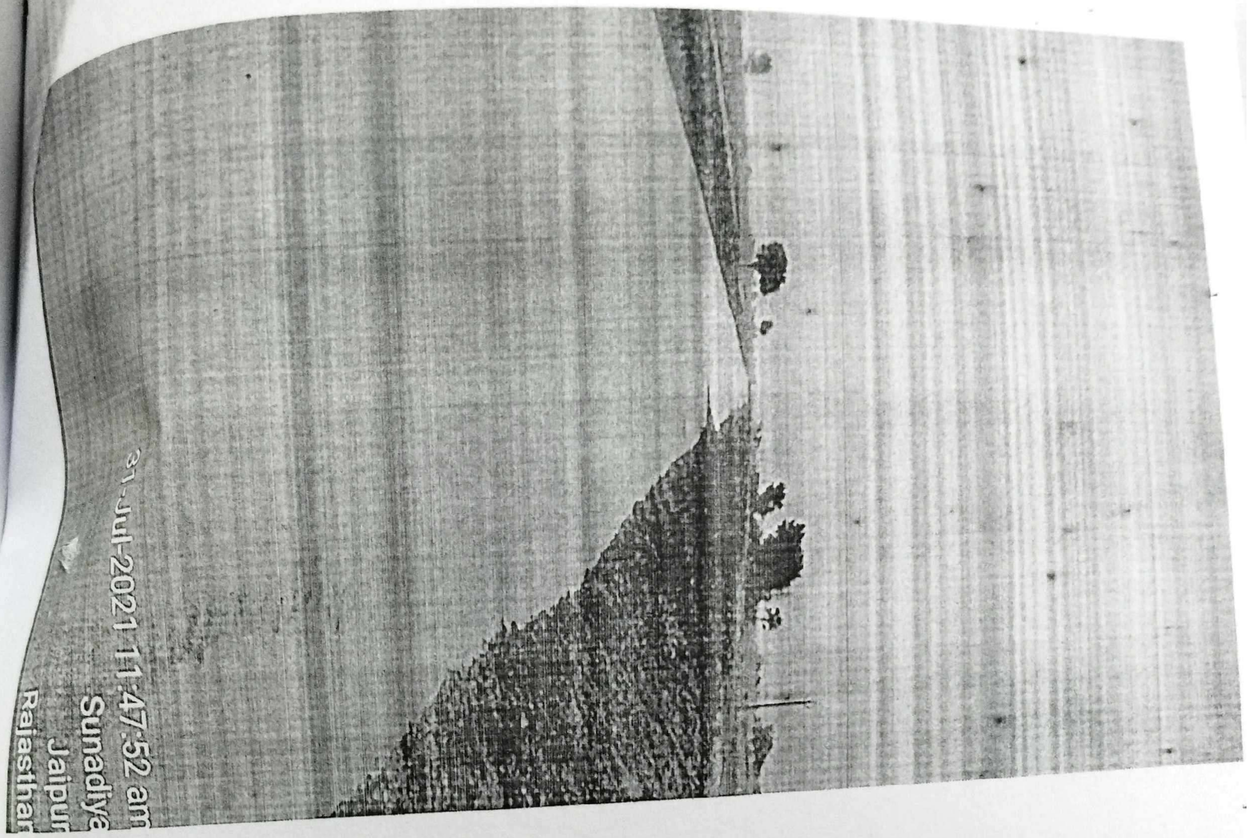
31-Jul-2021 11:47:52 am
Sunadiya
Jaipur
Rajasthan

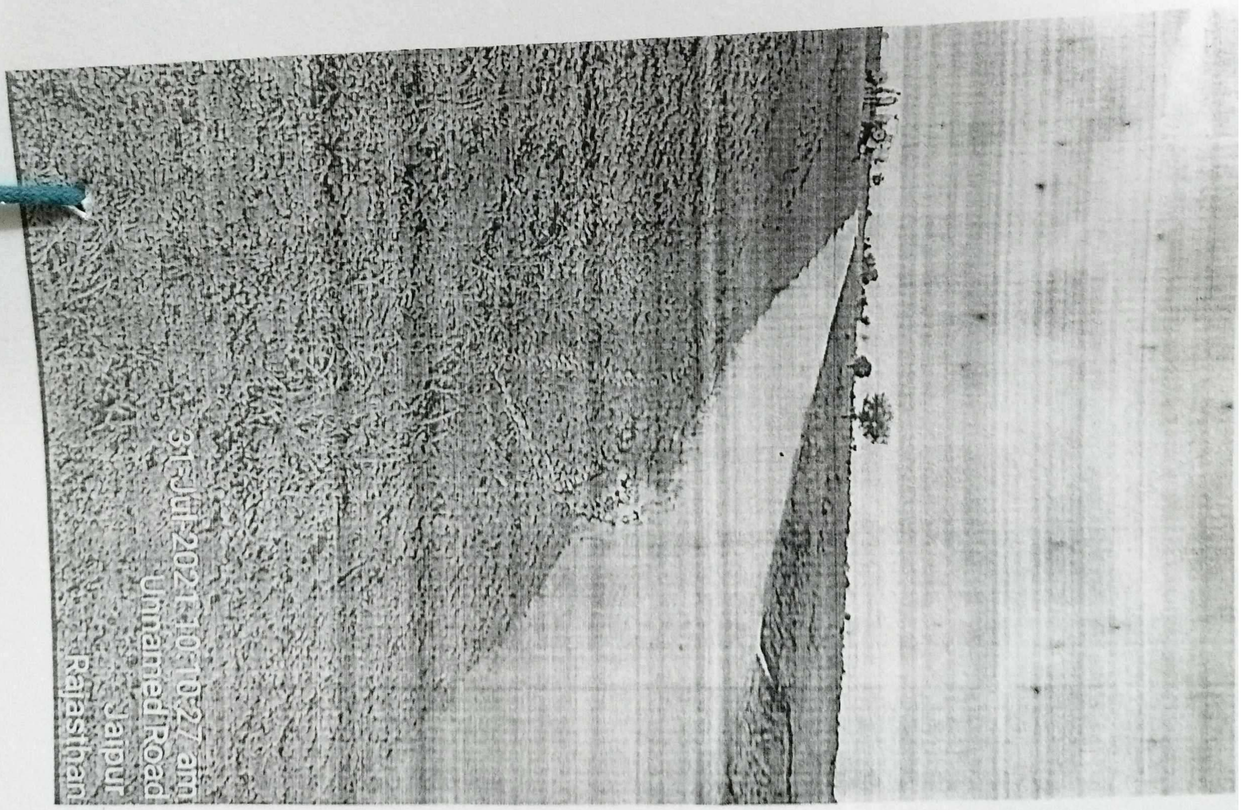
31-Jul-2021 10:10:27 am
Unnamed Road
Jaipur
Rajasthan

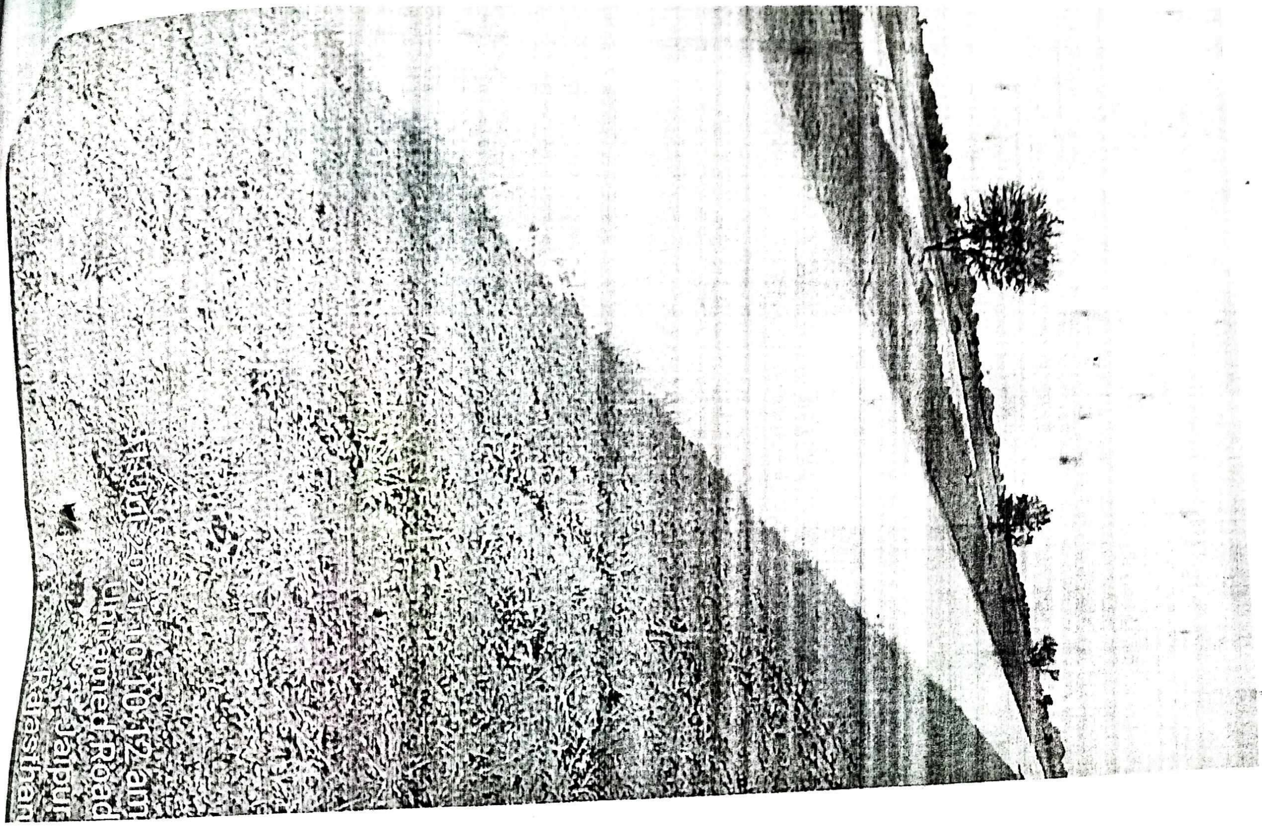
Unnamed Road
Jaipur

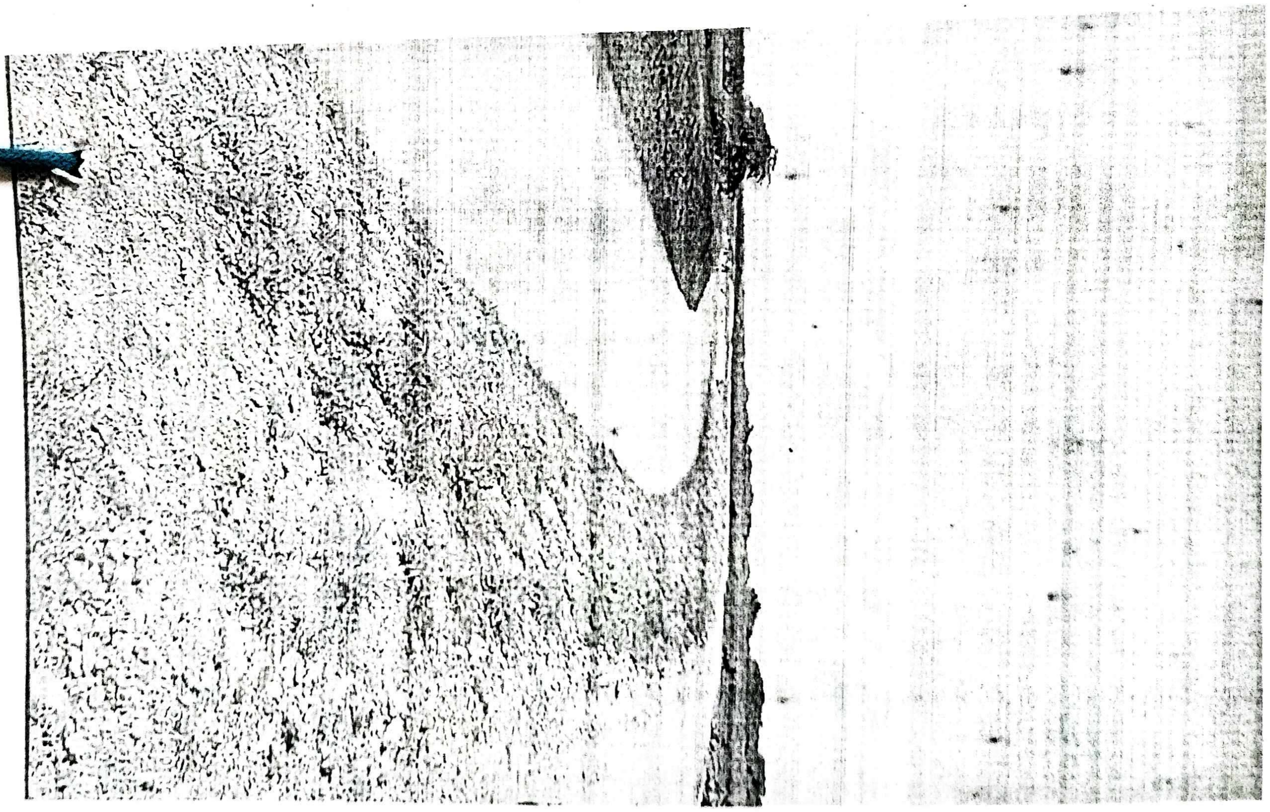

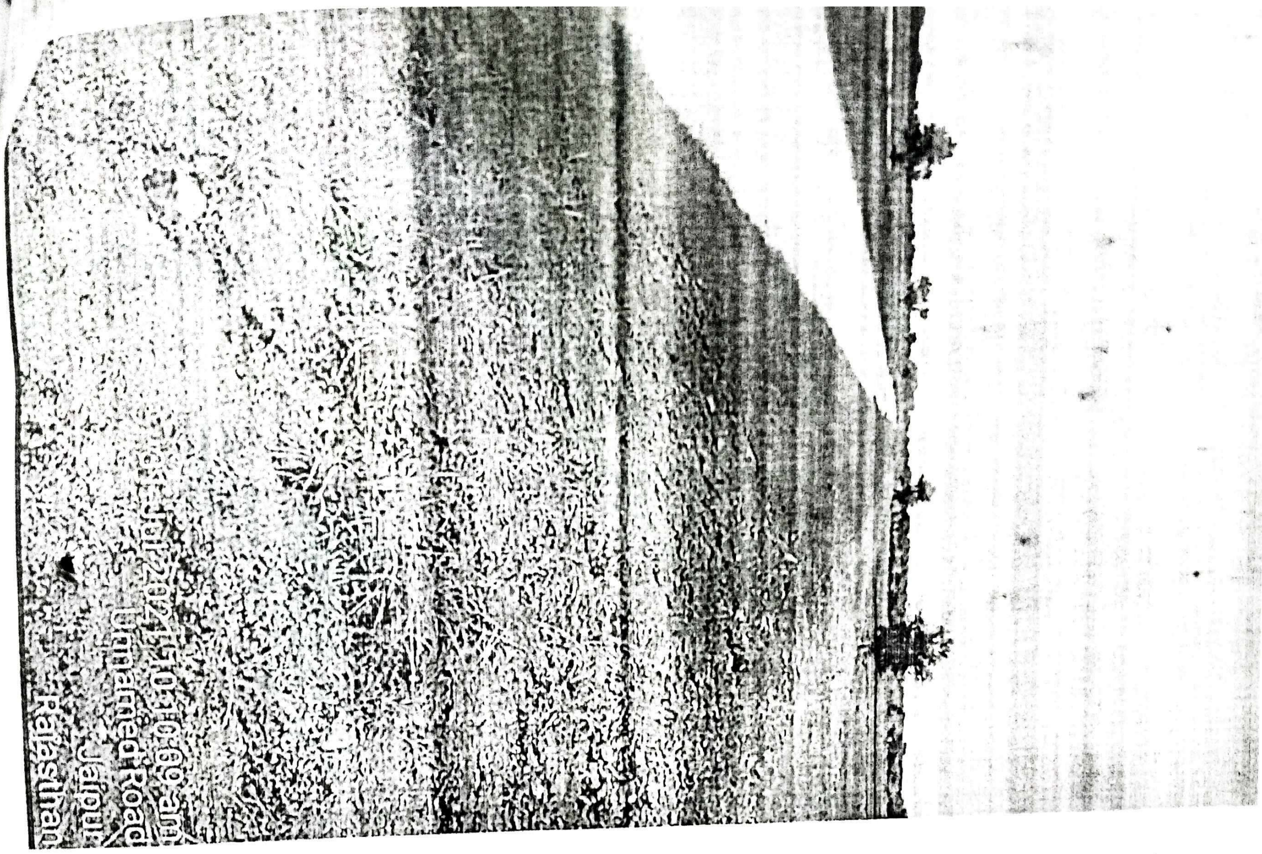

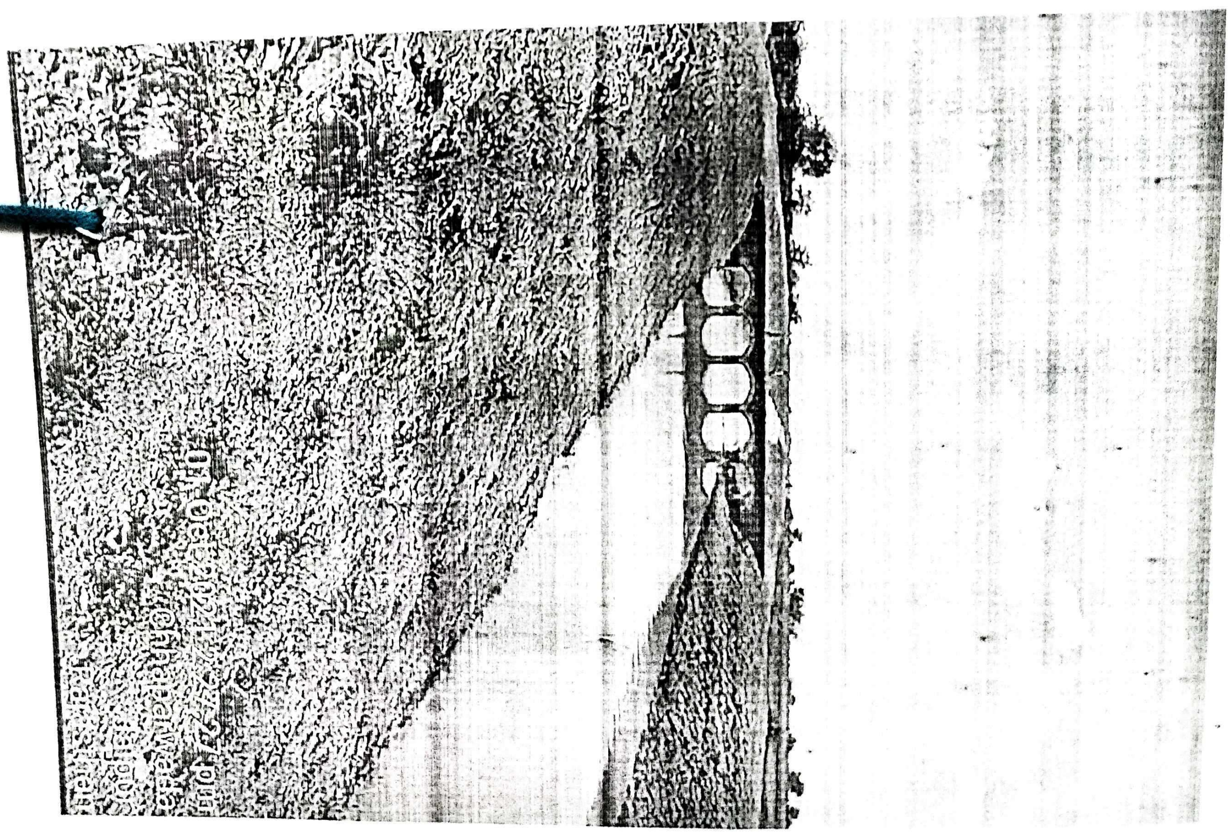

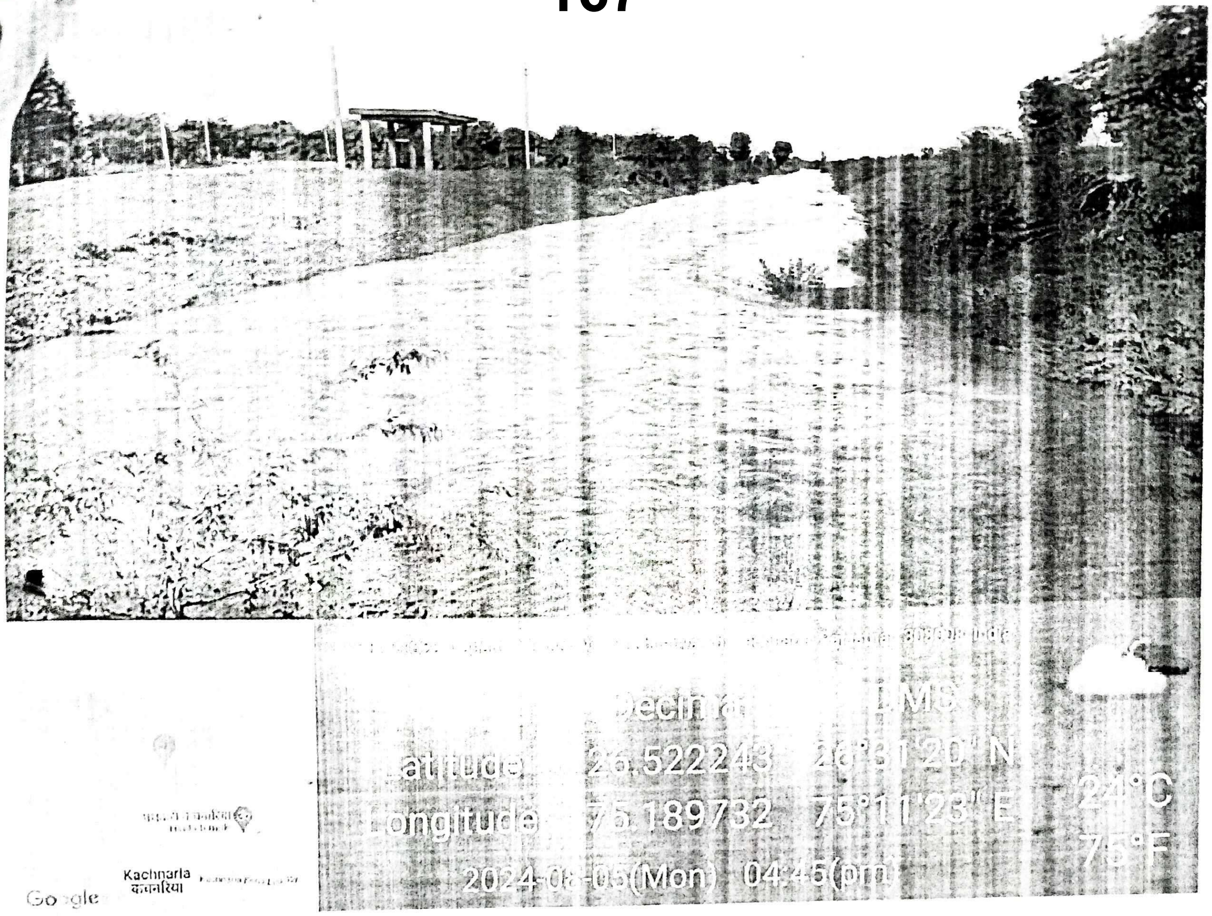

Decimal
DMS
Latitude 26.522243 26°31'20" N
Longitude 75.189732 75°11'23" E
2024-08-05(Mon) 04:45(pm)
24°C
75°F
Kachnaria
कचनरिया
Google

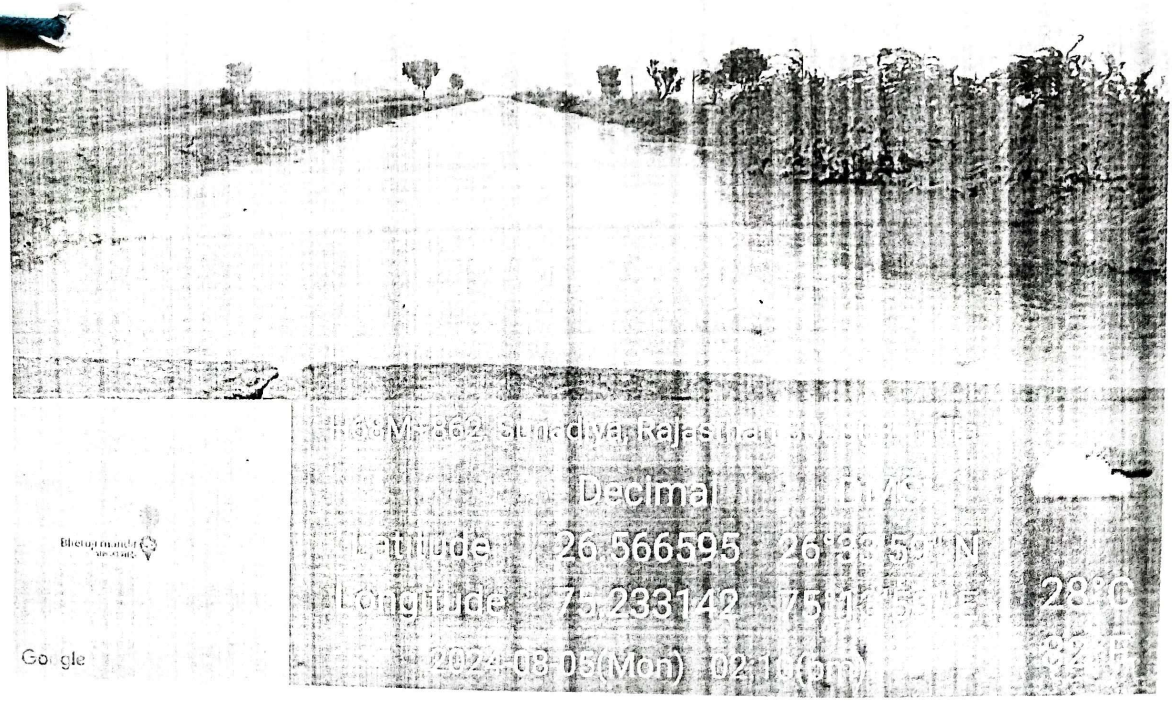

Decimal
DMS
Latitude 26.566595
Longitude 75.233142
2024-08-05(Mon)
28°C
Google

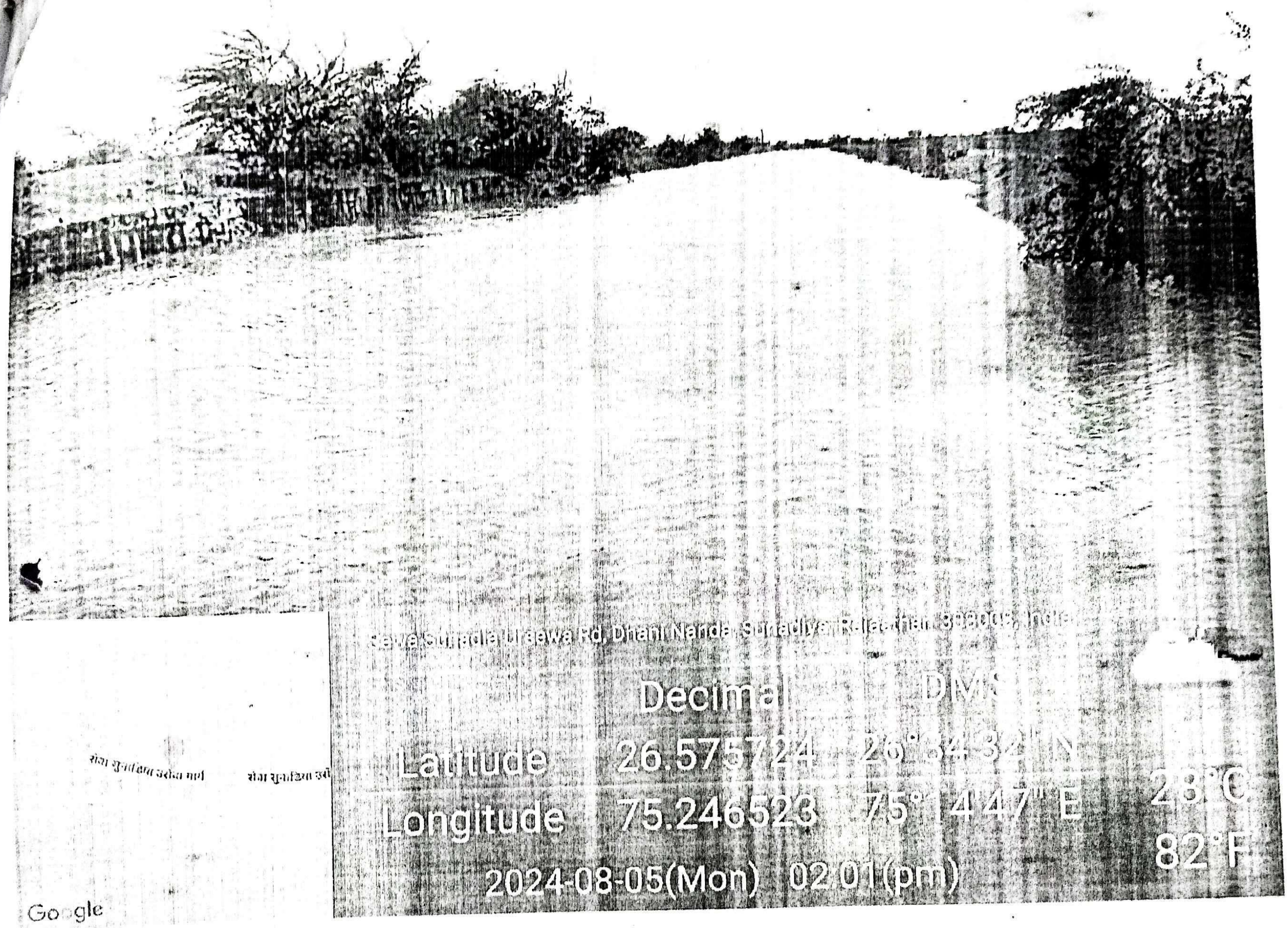
Decimal
DMS
Latitude 26.575724
Longitude 75.246523
28°C
82°F
2024-08-05(Mon) 02:01(pm)
Google

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH AT BHOPAL

O.A.No.221/2024(CZ)

KAMLESH ROJ ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN& ORS...........RESPONDENTS

AFFIDAVIT OF SERVICE

I Dinesh Kumar S/o Sh. O.P. Agrawal R/o Jaipur **Post** S.E. **do** hereby solemnly affirm on oath and state as under:-

1. That on 16/01/2025, as per the instructions of Advocate Shoeb Hasan Khan, who is the counsel for Respondent No. 4 in the above matter. I duly served a copy of the reply in the above matter upon the Applicant by way of email at the following email address: **Kamleshroj1@gmail.com**
2. That the email was sent at 6:12pm, and the copy of the reply was successfully delivered to the Applicant's said email address. A copy of the email along with its delivery confirmation is annexed herewith as Annexure-A.
3. That I make this affidavit to place on record the service of the reply upon the Applicant as required by law.
4. That the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and no part of it is false nor has anything material been concealed therein.

DEPONENT
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत, जयपुर

VERIFICATION

The above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid affidavit from paragraph 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Verified on this 16 day of Jan 2025.

DEPONENT
अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत, जयपुर

NOTARY ★ RAJASTHAN ★ GOVT. OF RAJ.
VINOD SHARMA
Notary & Advocate
JAIPUR City (Raj.)
Reg No. 1245
Expiry On 8-4-2028

ATTESTED
VINOD SHARMA
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 1245
JAIPUR CITY (RAJ.) INDIA

16 JAN 2025

SWORN & SIGN BEFORE ME
16 JAN 2025
(VINOD SHARMA)
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 1245
JAIPUR CITY (RAJ.)

ANNEXURE A

Gmail

in:sent

Compose

Inbox 1,018

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 53

Categories

Social

Updates 1

Forums

Promotions

More

Labels

More

reply of Behalf of respondent No. 4 in OA 221/2024 Kamleh Roj V/s State of rajast

SE WR Circle Jaipur <wrcirclejaipur@gmail.com>

to Kamlesh

--

Kindly find enclosed attachment, regarding above said subject for information please.

With Regards,

Dinesh Kumar Agrawal

SE WR Circle Jaipur

One attachment • Scanned by Gmail

OA 221-2024 R4 ...